

समाहरणालय मधेपुरा

(जिला स्थापना शाखा)

—आदेश—

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 978-2/स्था०, दिनांक 31.10.2013 द्वारा श्री राजेन्द्र राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, घैलाड, को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया के लिये कार्य सम्पादन करने का आदेश दिया गया है।

उक्त आदेश के आलोक में श्री राजेन्द्र राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, घैलाड, द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया का प्रभार ग्रहण कर लिया गया है।

अतः बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 84 के तहत श्री राजेन्द्र राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, घैलाड, को प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया के स्थापना संबंधी सभी शीर्षों के अन्तर्गत निकासी एवं व्यवन पदाधिकारी, की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती हैं।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

इसकी सूचना सभी सर्वबंधितों को दी जाय।

—३—

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक ११८६-२ / स्था०, दिनांक १३ नवम्बर २०१३ ई०

प्रतिलिपि— श्री राजेन्द्र राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया को सूचनार्थ एवं अनपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा / मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— उप विकास आयुक्त मधेपुरा / अपर समाहर्ता, मधेपुरा / अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

१३.११.१३
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।